फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पुलिस अधीक्षक, जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

श्री संजय पिता गुलाब मराठा निवासी कच्ची बस्ती गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ थाना कोतवाली, चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 122/2023 (रा.गु.नि.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.08.2024	पत्रावली पेश हुई। अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसायल का जमानती वारण्ट पुनः अदम तामील प्राप्त। पुलिस अधीक्षक, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक 29475–77 दिनांक 17.11.2018 से गैरसायल श्री संजय पिता गुलाब मराठा निवासी कच्ची बस्ती, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़, थाना कोतवाली, चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत पेश किया गया। उक्त प्रकरण न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ से स्थानान्तरण होकर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्राप्त होने पर जरिये पत्रांक 156 दिनांक 24.05.2024 180 दिनांक 30.05.2024 एवं 230 दिनांक 20.06.2024 से गैरसायल की उपस्थिति बाबत जमानती वारण्ट जारी किये जाकर तामीलन थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, चित्तौड़गढ़ को भिजवाने पर थानाधिकारी, कोतवाली चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त तीनों वारण्ट बाद/अदम तामील पुनः इस न्यायालय में प्रस्तुत ही नहीं किये गये। इस पर जरिये पत्रांक 272 दिनांक 18.07.2024 से पुलिस अधीक्षक, जिला चित्तौड़गढ़ को गैरसायल की तामील करा उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु लिखते हुए पुनः जमानती वारण्ट जारी किया जाकर पुलिस अधीक्षक, जिला चित्तौड़गढ़ के मार्फत् भिजवाने पर भी गैरसायल की तामील नहीं हो पाई तथा पुनः जमानती वारण्ट मय मौतबिरान की तस्दीक के अदम तामील प्राप्त हुआ कि गैरसायल संजय पिता गुलाब मराठा अंकित पते पर 2–3 साल पूर्व रहता था अब अंकित पते पर निवास नहीं करके निम्बाहेड़ा की तरफ कहीं चला गया है गैरसायल खानाबदोश की तरह रहता है जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया है की टिप्पणी के अदम तामील प्राप्त हुआ है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे में गैरसायल के धारा 13 आर.पी.जी.ओ. एक्ट के प्रकरणों में सजायाब होने का उल्लेख है तथा अंतिम प्रकरण दिनांक 23.04.2018 को निर्णित होना अंकित है। इस	.....लगातार

	तारीख के बाद गैरसायल के विरूद्ध कोई प्रकरण अंकित नहीं है। मुख्य रूप से जब गैरसायल थानाधिकारी, थाना कोतवाली, चित्तौड़गढ़ की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में यहां निवास नहीं कर रहा है। उसका कोई अता–पता नहीं चल पा रहा है जिसका सही पता मालूम ही नहीं है तथा पिछले 2–3 वर्ष से चित्तौड़गढ़ में निवास ही नहीं कर रहा है और वह सकूनत से बाहर चल रहा है एवं ना ही उसका वारण्ट पुलिस विभाग द्वारा तामील कराया जा सका है। अतः ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर विचार किए बिना इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 खारिज किया जाता है। यदि गैरसायल सकूनत पर वापस आवे और आपराधिक गतिविधियों में नियमित रूप से लिप्त पाया जावे तो नियमानुसार नये सिरे से इस्तगासा पेश किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, जिला चित्तौड़गढ़ एवं थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, चित्तौड़गढ़ को प्रेषित की जावे।	